Form No. III

फर्द अहकाम

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 41/2017 अनवान नेकाराम बनाम गलाराम वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामिल मे जारी हुये
4 / 2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री ओमदवे उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण श्री मूलसिंह यादव उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि वकील प्रार्थी श्री ओमदवे द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के माध्यम ये यह दलील दी जा रही हैं कि ग्राम बेडा चक प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 2204 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 2205 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा कुल रकबा 0.06 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती संयुक्त खातेदारी में स्थित हैं। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2204 में पानी की निकासी के लिये प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 02 के शामलाती विद्युत कनेक्शन लिया हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या–01 प्रार्थी को बिना पूछे प्रार्थी की बिना सहमति के अन्य लोगो की खातेदारी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी किराये पर दे रहा हैं। प्रार्थी को कुएँ के पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने से मना कर दिया हैं तथा झगडा टंटा करने पर उतारू है अतः प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। इसके विपरित अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव द्वारा वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी जा रही हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–01 ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.12.1998 से संयुक्त तौर पर खरीद की। तत्पश्चात् कुऐं में पानी कम होने से अप्रार्थी संख्या–01 अकेले ने बैंक सोसायटी से ऋण लेकर करीब 80, 000/–रूपये खर्च कर कुआ गहरा करवाया एवं स्वयं के नाम से अकेले ने वर्ष 2011–2012 में कुँए पर विद्युत कनेक्शन लिया । जिसका खर्चा 1, 00, 000/– अक्षरे एक लाख रूपये भी अप्रार्थी संख्या–01 ने खर्च किये हैं। तब से अप्रार्थी संख्या–01 कुऍ से पानी निकाल कर सिंचाई हेतु उपयोग उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–02 ने कुआ गहरा करवाने एवं विद्युत कनेक्शन व मोटर लगाने के खर्चा का एक पैसा भी अदा नहीं किया। तथा रेकर्ड में संयुक्त खातेदार दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्व उक्त झुठा व गलत प्रार्थना पत्र पेश कर बाले–बाले अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की हैं, जो खारिज की जावे। दोनो पक्षो की दलीलो पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 2204 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 2205 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा कुल रकबा 0.06 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती संयुक्त खातेदारी में स्थित हैं। जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–01 उसके हिस्से अनुसार कुऍ से पानी लेने से नहीं रोक सकता। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी जाहिर हैं कि कुँए को गहरा कराने तथा बिजली कनेक्शन व मोटर लगाने का खर्चा अकेले अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा किया गया हैं। तथा बिजली कनेक्शन अप्रार्थी संख्या–01 के नाम है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थी को वादग्रस्त बेरा व सडा पर जाने से अप्रार्थी संख्या–01 नही रोके एवं साथ ही कुँए/बेरे से स्वयं के साधन से पानी निकाले तो उसमें अप्रार्थी संख्या–01 किसी प्रकार की रूकावट नहीं करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्व मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 34 /2017 के संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी बाली उप - खण्ड अधिकारी न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)	